

पत्रांक 2163 / धारा-57 / आयु0क0उत्तरा0दे0दून0 / 2008-09

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(धारा-57 अनुभाग)

दिनांक: देहरादून: 19 सितम्बर 2008

सर्वश्री एम0 आर0 एफ0 लि0
बाबा नीम करोली, धर्मकांटा, मानपुर
वेस्ट रामपुर रोड़, हल्द्वानी।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-57 के तहत निर्णय


सर्वश्री एम0आर0एफ0 लि0, बाबा नीम करोली, धर्मकांटा मानपुर, वेस्ट रामपुर रोड़, हल्द्वानी द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 57 के तहत दिनांक 19-05-08 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए "Tread Rubber" जो कि टायर व ट्यूब की रिटायडिंग के लिए प्रयोग होता है पर कर की दर के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है।

2- प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में विभागीय पक्ष हेतु ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, नैनीताल सम्भाग को निर्देशित किया गया।

3- विभागीय आख्या में स्पष्ट किया गया है कि ट्रेड रबड़ के उत्पादन का प्रोसेस प्रोक्थोड ट्रेड रबर से भिन्न है अतः इसे अनुसूची-II(ख) की प्रविष्टि संख्या 96 से आच्छादित नहीं माना जा सकता है और इस पर कर की दर 12.5 प्रतिशत होनी चाहिए।


4- दूरभाषों पर दिये गये निर्देशों के क्रम में व्यापारी की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री मुकेश कुमार अग्रवाल Advocate तथा श्री नरेन्द्र अम्बटकर Corporate Manager Sales Tax उपस्थित हुए, बताया कि पड़ोसी राज्य में retreaded Rubber पर कर की दर वाणिज्य कर कमिश्नर के स्तर से धारा 59 के अन्तर्गत दिये गये निर्णय में 4 प्रतिशत ही रखी गयी है तथा उत्तराखण्ड शासन के स्तर से भी पूर्व में इसी परिप्रेक्ष्य में Clarification जारी किया गया है।

5- धारा-57 के प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर विचार किया गया। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची-II (ख) के क्रमांक 96 पर "Rubber, raw Rubber, latex, dry rubber" को रखते हुए 4 प्रतिशत से करयोग्य घोषित किया गया है। प्रश्नगत वस्तु "Tread Rubber" का उल्लेख उक्त प्रविष्टि में नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा कई मामलों में यह दी है कि कर सम्बन्धी प्राविधानों का विश्लेषण करते समय न तो हम कुछ


190908

Assume कर सकते हैं और न ही कुछ Presume कर सकते हैं अर्थात् हम कोई अवधारणा/परिकल्पना स्वतः निरूपित नहीं कर सकते हैं। अधिनियम की किसी धारा अथवा किसी अनुसूची के सन्दर्भ में जो शाब्दिक अर्थ निरूपित है उस सीमा का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। प्रश्नगत वस्तु 'Tread Rubber' मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II(ख) के क्रमांक 96 से आच्छादित नहीं माना जा सकता है। जहाँ तक उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये Clarification का प्रश्न है, शासन द्वारा केवल प्रोवयोर्ड ट्रेड रबड़ के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त किया था न कि 'ट्रेड रबड़' के बारे में। अतः आवेदनकर्ता द्वारा पूछे गये प्रश्न में उल्लिखित वस्तु मूल्यवर्धित कर अधिनियम की प्रविष्टि क्रमांक 96 से आच्छादित नहीं मानी जा सकती है अतएव इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भांति अर्थात् प्रत्येक बिक्री के बिन्दु पर 12.5 प्रतिशत (R.N.R) की दर से करयोग्य मानी जायेगी।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-57 के प्रार्थनापत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है। इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक-पृथक भेजी जाय।


190908
(वी०के० सक्सेना)

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

2163
पृ०प०सं० व दिनांकः उक्तः

- प्रतिलिपि— 1— सर्वश्री एम०आर०एफ० लि०, बाबा नीम करौली धर्मकांटा, मानपुर वेस्ट, रामपुर रोड़, हल्द्वानी।
2— डिप्टी कमिश्नर (क०नि०) द्वितीय, हल्द्वानी।

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

olc